



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256114
CG-DL-E-07082024-256114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3007]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/श्रावण 15, 1946

No. 3007]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/SHRAVANA 15, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

का. आ. 3153 (E).—1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत जारी किए गए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के का. आ. संख्या 2322 (E), दिनांक 14.06.2024 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा 'पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग - 116 के नंदकुमार - कौन्टाई - दीघा - चन्दनेश्वर सड़क के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 25.500 एवं कि.मी. 41.000 से कि.मी. 64.700 तक का पुनर्वास एवं उन्नत कर 2 लेन पक्के शोल्डर्स' के अर्जन हेतु उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख २१.०६.२०२४ को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" और "वर्तमान पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

इसलिए, अब सक्षम प्राधिकारी कि उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का

पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जना चाहिए;

और इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, एतद्वारा यह घोणा करती है कि इस अधिसूचना के शासकीया राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी;

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पुर्वी मेदिनीपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116B के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 25.500 एवं कि.मी. 41.000 से कि.मी. 64.700 तक मे अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल			जिले का नाम: पुरबा मेदिनीपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नंदीग्राम-III					
गांव का नाम: कलिका खली (जे.एल.नं.-091)					
1	सी इस ११२१	निजी	सी इस -डोबा ("रोड"-माननीय हाई कोर्ट-के आदेश तारीख १०.०५.२०२४ अनुसार)	0.0445164	संतोष कुमार भुइया (माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2023 के अनुसार डब्ल्यूपीए संख्या 18479 ऑफ 2022 और आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुसार सीपीएन संख्या 1489 ऑफ 2023)
Total				0.0445164	

[फा. स. RW/NH-12014/9/2016/WB/P-3/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August ,2024

S.O. 3153(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2322(E), dated the 14th June, 2024, published in the Gazette of India, extraordinary, Part-II, Section -3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the notification for 'Rehabilitation and Up-gradation to 2-Lane with Paved Shoulders Configuration of Nandakumar-Contai-Digha-Chandaneswar Road from Km 0.000 to Km 25.500 and to Km 41.000 to Km. 64.700 of NH 116B on EPC Mode" in the District- Purba Medinipur in the State of West Bengal'.

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" and "Bartaman" both dated on 21.06.2024 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act.

And whereas the Competent Authority has received no objection filed under section 3C;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt on the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section(1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure in respect of falling within the stretch of land from Km 0.000 to Km 25.500 and to Km 41.000 to Km. 64.700 of the National Highway-116B in the district of Purba Medinipur in the state of West Bengal.

State: WEST BENGAL			District: PURBA MEDINIPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nandigram -III					
Village: Kalika Khali (J.L. No.-091)					
1	CS 1121	Private	CS-DOBA ("ROAD" AS PER HONOURABLE HIGH COURT ORDER DT 10.05.2024)	0.0445164	SANTOSH KUMAR BHUINYA (AS PER HONOURABLE HIGH COURT ORDER DATED 03.07.2023 IN WPA NO. 18479 OF 2022 AND ORDER DATED 10.05.2024 IN CPAN NO. 1489 OF 2023)
Total				0.0445164	

[F. N. RW/NH-12014/9/2016/WB/P-3/3D]

ABHAY JAIN, Director